

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : एफ2(8)/संकलन/बजट/2013-14/607

दिनांक: 8/11/13

उप आवासन आयुक्त,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
वृत्त .....

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों के विचार-विमर्श के बाबत संशोधित सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको पूर्व में पत्र संख्या 515 दिनांक 10.10.2013 द्वारा वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2014-15 के बजट हेतु व्यापक विचार-विमर्श का कार्यक्रम तिथिवार भेजा गया था, उसमें अपरिहार्य कारणवश (दीपावली अवकाश के कारण) स्थगित कर दिये जाने के कारण अब निम्नानुसार पुनः कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसमें तिथिवार उप आवासन आयुक्त अपने सम्बन्धित आवासीय अभियन्ताओं के साथ निश्चित समयानुसार वित्तीय सलाहकार के कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	वृत्त कार्यालय का नाम	दिनांक	समय
1	वृत्त-प्रथम, जयपुर	18.11.2013	प्रातः 11.00 बजे
2	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	18.11.2013	सांयः 03.00 बजे
3	वृत्त अलवर	19.11.2013	प्रातः 11.00 बजे
4	वृत्त-तृतीय, जयपुर	19.11.2013	सांयः 03.00 बजे
5	वृत्त-बीकानेर	20.11.2013	प्रातः 11.00 बजे
6	वृत्त-कोटा	20.11.2013	सांयः 03.00 बजे
7	वृत्त-प्रथम जोधपुर	21.11.2013	प्रातः 11.00 बजे
8	वृत्त-द्वितीय जोधपुर	21.11.2013	सांयः 03.00 बजे
9	वृत्त-उदयपुर	22.11.2013	प्रातः 11.00 बजे

उक्त को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति० मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/आ.वि.सं.(अ.स.), राज.आवा.मण्डल. जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वसूली), राजस्थान आवासन मण्डल को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का श्रम करें।
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त पत्र को सभी संबंधित के ई-मेल पर एवं महत्वपूर्ण आदेशों की साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार  
8/11/13

वित्तीय सलाहकार  
8/11/13